सं. 142] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 14, 2005/आश्विन 22, 1927
No. 142] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2005/ASVINA 22, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 7 अक्तूबर, 2005

सं. टीएएमपी/58/2005-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा पोत हमाली दरों में संशोधन हेतु मुम्बई पत्तन न्यास के प्रस्ताव का संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

प्रकरण सं. टीएएमपी/58/2005-एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास .... आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 2005 के 6वें दिन पारित)

मुंबई पत्तन न्यास ने अपने पोत-हमाली प्रभारों में, 1 अक्तूबर 2005 से अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन की तिथि तक, 5% की वृद्धि करने का अनुरोध किया है । एमबीपीटी ने इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दु उठाए हैं:

(i) एमबीपीटी ने व्यापक प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(ii) पोत-हमाली प्रभारों के लिए टीएएमपी की स्वीकृति केवल 30 सितम्बर 2005 तक के लिए ही वैध है । इन दरों में, व्यापक प्रस्ताव को अनुमोदन लागू करने तक, 5% वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

(iii) पोत-हमाली प्रभारों में 5% की वृद्धि 1 अक्तूबर 2005 से व्यापक प्रस्ताव पर अनुमोदन तक अनुमोदित की जाए ।

2. गोदियों में प्रभारित प्रचलित दरमान के खंड-IV (सम्मिश्र बर्थ भाड़ा प्रभार) के उपखंड (ख) के नीचे अनुसूची-1, उपखंड (ग) की टिप्पणियाँ, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का भी उल्लेख करती है:-

(v) (क) ऊपर दी गई अनुसूची में निर्धारित दर 1 अक्तूबर 2003 से 30 सितम्बर 2004 तक एक वर्ष के लिए वैध होगी.

(ख) ऊपर दी गई अनुसूची मे निर्धारित पोत-हमाली दरों पर 5% की वृद्धि 1 अक्तूबर 2004 से लगाया जाएगा और ये दरें 30 सितम्बर 2005 तक वैध रहेंगी ।

3. हाल ही में, एमबीपीटी ने इस प्राधिकरण के समक्ष, अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रशुल्क प्रस्ताव 22 सितम्बर 2005 दाखिल किया है । इसके दरमान के संशोधन के लिए सामान्य संशोधन प्रस्ताव को विचारार्थ अभी लिया जाना है । यह ध्यान देने योग्य है कि एमबीपीटी के दिनांक 22 सितम्बर 2005 के प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित अनुरोध भी शामिल है:

"खंड-III की अनुसूची (ख) के अन्तर्गत पोत-हमाली प्रभारों को टीएएमपी की स्वीकृति केवल 30 सितम्बर 2005 तक ही वैध है । प्रस्ताव किया जाता है कि जब तक, व्यापक प्रस्ताव को, जिसमें पोत-हमाली प्रभार 25% बढ़ाए गए हैं, टीएएमपी के अनुमोदन को कार्यान्वित किया जाता है, तब तक इन दरों को 5% बढ़ा दिया जाए ।"

3043 GI/2005

4. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस प्राधिकरण ने पोत हमाली सेवाओं के लिए सितम्बर 2003 में प्रशुल्क निर्धारित किए थे और एमबीपीटी को यह अच्छी तरह से पता है कि पोत-हमाली प्रभारों की वैधता 30 सितम्बर 2005 को समाप्त हो जाएगी । एमबीपीटी ने प्रचलित पोत-हमाली दरों में 5% की वृद्धि का प्रस्ताव समाप्ति तिथि के ठीक पहले दाखिल किया है । एमबीपीटी द्वारा अपना प्रस्ताव समय पर दाखिल न करने में स्पष्ट न किए गए विलम्ब को ढकने के लिए सामान्य संशोधन के कुछ भाग को अलग रखने का कोई औचित्य नहीं है । मार्च 2005 में अधिसूचित संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी अपेक्षा करते हैं कि जब किसी पत्तन का कोई प्रासंगिक प्रशुल्क संशोधन के लिए अपेक्षित हो, तो उस पत्तन को अपना (अपेक्षित) प्रशुल्क प्रस्ताव कम से कम 3 माह पहले दाखिल कर देना चाहिए । वैधता अवधि की समाप्ति की कगार पर आकर विचाराधीन प्रस्ताव दाखिल करके, इस प्राधिकरण को उसके द्वारा प्रस्ताव पर कोई अन्तिम विचार बनाने से पहले लागत स्थिति का विश्लेषण करने और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं से सलाह करने के अवसर से वंचित किया गया है । उपलब्ध अत्यल्प समयावधि में लागत ब्यौरों का सत्यापन करना और एमबीपीटी द्वारा आवेदित दरों में वृद्धि पर कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है ।

5. यह मानना होगा कि एमबीपीटी पोत हमाली सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए है और पत्तन को इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रभार लगाने है । विस्तृत जाँच-पड़ताल के बिना, यह प्राधिकरण, प्रचलित पोत हमाली प्रभारों में 5% की प्रस्तावित वृद्धि को अनुमोदन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है । एमबीपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए एक प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल किया है जिसमें पोत-हमाली प्रभारों का संशोधन भी शामिल है । लागत ब्यौरों के संदर्भ में और उपयोगकर्त्ताओं से परामर्श करके उस प्रक्रिया में एक विस्तृत विश्लेषण किया जा सकता है । प्रदत्त परिस्थितियों में, यह प्राधिकरण 1 अक्तूबर 2005 से आगे पत्तन द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव के निपटान तक की अवधि के लिए वर्तमान दरों को जारी रखने हेतु एमबीपीटी को प्राधिकृत करने का इरादा रखता है ।

6. परिणामस्वरूप, और ऊपर वर्णित कारणों से यह प्राधिकरण मुंबई पत्तन न्यास को, 30 सितम्बर 2005 तक लागू पोत-हमाली दरों को, एमबीपीटी के दरमान के संशोधन के लिए (दाखिल) सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वनय की प्रभावी तिथि तक लगाने के लिए प्राधिकृत है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2005-असा.]